न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 147 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांटरा	रेसपोडेंटगण
मूलाराम पुत्र देराजराम उम्र 53 साल जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील शिव जिला बाड़मेर	1. झीगोदेवी पत्नी हेमाराम 2. सोनाराम पुत्र पूनमाराम 3. मंगलाराम पुत्र मदरूपाराम जातियान जाट निवासीयान रामपुरा तहसील शिव जिला बाड़मेर 4. शाखा प्रवन्धक वी सी सी वी शाखा शिव 5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिव

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 107 / 2014 बअनवान झीमोदेवी बनाम मूलाराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री नृसिंह सोलंकी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बृजमोहन कुमावत रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 29.09.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा रामपुरा तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 472 रकबा 166.15 बीघा भूमि अवस्थित है। अपीलाधीन आराजी में से 05 बीघा भूमि वादीनी ने पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 11.09.2012 को क्रय की थी।, उक्त 05 बीघा भूमि वादीनी द्वारा अपने पति हेमाराम पुत्र मदरूपाराम के पैतृक खेत खसरा संख्या 471 के सेढा सेढ क्रय की गई जिस वादग्रस्त भूमि में वादीनी एवं प्रतिवादीगण के खेत का आपस में बाहमी तौर पर बंटवाडा किया हुआ है लेकिन पक्षकारान के मध्य कानूनी तौर पर बंटवाड नहीं किया हुआ होने से हस्तगत वाद पेश किया गया। अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय जिस विभाजन

प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया वो एकपक्षीय रूप से तैयार किया गया। तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआवयना नहीं किया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटगण की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार शिव को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार शिव द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को विभाजन प्रस्ताव पर अपनी आपतियां पेश करने देने का अवसर दिये बिना ही एकतरफा रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार शिव द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bound सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि वादीनी/रेस्पोडेंटस द्वारा अपने पति के पैतृक खातेदारी का खेत खसरा संख्या 471 के सेढे पर अपीलांट से 05 वीघा भूमि क्रय की थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह

की कमी नहीं हैं क्योंकि सभी पक्षकारों की सहमति से हल्का पटवारी व आर. आई. मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कैम्प कोर्ट में पारित की गई जबकि पत्रावली कैम्प कोर्ट में सुनवाई हेतु नियत करने की सूचना/नोटिस अपीलांटस को नहीं दिया गया। कैम्प कोर्ट में उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनाम एवं आपसी सहमति के आधार पर ही निर्णय पारित किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते वक्त उभयपक्षकारान के मध्य कोई राजीनाम/आपसी सहमति नहीं थी उसके बावजूद विधि में विहित प्रावधानों से परे जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की गई जो विधि की मंशा के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.06.2015 की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा मौका रिपोर्ट का मजमून ही सावित कर देता है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआवना नहीं किया गया है तहसीलदार को बंटवारे के मामले में स्वयं मौका देखना चाहिए। बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 107/2014 बअनवान झीमोदेवी बनाम मूलाराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2017 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई समुचित का मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.12.2022 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 29.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर